



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित / वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.04.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त राजेश उर्फ राकेश उर्फ खन्ना पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनी निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0--56/24 धारा—2/3 गैंगस्टर अधिनियम चालानी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राजेश उर्फ राकेश उर्फ खन्ना पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनी निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 386/12 धारा- 60 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 160/21 धारा- 60 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 181/23 धारा- 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. का0 2017 चिराग थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 29.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 01 देशी तमंचा नाजायज /01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण ,अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त इस्तयाक पुत्र गफूर कुरैशी निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना सहानपुर को ग्राम बुढडाखेडा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 102/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ जो तमंचा पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ जिसे मैंने ट्रक ड्राईवर से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त इस्तयाक पुत्र गफूर कुरैशी निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना सहानपुर।

बरामदगी-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर।
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।